कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes)
दिनाँक–25.08.2020

विद्या–परिषद् की 17वीं बैठक दिनांक 25.08.2020 को पूर्वाह्न 11:30 बजे माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में ऑनलाईन पद्धति से सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित की सहभागिता रही :–

	प्रो0 नीलिमा सिंह माननीया कुलपति कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार	पदेन सदस्य
3.	डॉ0 गोपाल सिंह राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद्	सदस्य
4.	श्री मल्लू राम मीणा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद् व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, कोटा	सदस्य
5.	डॉ. कपिल देव शर्मा राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य, शिक्षाविद् प्राचार्य, लॉर्ड बुद्धा महाविद्यालय, कोटा	सदस्य
6.	प्रो0 आशुरानी अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, रसायन शास्त्र	सदस्य
7.	डॉ0 अनिता सुखवाल अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य

8. डॉ0 अनिता गुप्ता — सदस्य
अधिष्ठाता, कला संकाय
प्राचार्य, राजकीय जे.डी.बी. कला कन्या महाविद्यालय,
कोटा

9. डॉ0 सुषमा सिंह — सदस्य
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
प्राचार्य, जे.एल.एन. टी.टी. महाविद्यालय,
कोटा

10. प्रो. रीना दाधीच — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम नामित सदस्य

11. डॉ0 भवानी सिंह — सदस्य
कुलपति द्वारा नाम नामित सदस्य
विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग

12. प्रो. एन.के. जैमन — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भौतिक विज्ञान

13. डॉ0 मन्जु गुप्ता — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, समाज शास्त्र

14. डॉ. सीमा राठौर — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अंग्रेजी

15. डॉ. नादीरा खातून — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, उर्दू

16. डॉ0 हासो दादलानी — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, सिन्धी

17. डॉ0 शालिनी भारती — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, आरेखन एवं रंगांकन

18. श्री चन्द्रजीत सिंह — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, विधि

19. डॉ0 शुचिता जैन — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, वनस्पति शास्त्र

20. डॉ0 पी.सी. उपाध्याय — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, संस्कृत

21. डॉ. रोशन भारती — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भारतीय संगीत

22. डॉ. इरफान अहमद — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, दर्शन शास्त्र

23. डॉ0 एम.जेड.ए. खान — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भूगोल

24. डॉ0 ए.ए. हनफी — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, इतिहास

25. डॉ0 रीना खनूजा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गृह–विज्ञान

26. डॉ0 जागे राम — सदस्य
संयोज़क, पाठ्यक्रम समिति, लोक प्रशासन

27. डॉ0 अरूण कुमार — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गणित

28. डॉ0 नीता जैन — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, प्राणी विज्ञान

29. डॉ0 राजेश शर्मा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ई.ए.एफ.एम.

30. डॉ0 ए.के. जैन — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, व्यवसायिक प्रशासन

31. डॉ0 युसुफ अली अंसारी — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ए.बी.एस.टी.

32. डॉ0 सपना जोशी — सदस्य
योजक, पाठ्यक्रम समिति, शिक्षा

33. डॉ0 कल्पना बोहरा — सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अर्थशास्त्र

34. डॉ. आर.के. उपाध्याय — सदस्य सचिव
कुलसचिव

आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर; प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य; डॉ. पीयूष कुमार सालोदिया, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य; डॉ. ज्ञानेश्वर मीणा, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय; एवं डॉ. शम्मी खण्डेलवाल, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, राजनीतिक विज्ञान बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया।

इसके पश्चात् विद्या–परिषद् की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा विधिवत रूप से प्रारम्भ हुई :–

मद संख्या– 1	:	**विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक दिनाँक 09.07.2019 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की दिनाँक 09.07.2019 को हुई 16वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या– 2	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनाँक 09.07.2019 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की दिनाँक 09.07.2019 को हुई 16वीं बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया जिसमें मद सं. 11.5 के निर्णय की अनुपालना में अस्थायी रूप से रखे गए कार्मिक के जारी आदेश में अस्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने के स्थान पर संविदा आधार पर स्थिर मानदेय पर रखा जाना उल्लेखित किया जावे।
मद संख्या– 3	:	**माननीय कुलपति महोदय के निम्न आदेशों को रिपोर्ट करना।** 1. वर्ष 2019 व 2020 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी आदेश (पृष्ठ सं. 14 से 29)। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेश। विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक के पश्चात् सत्र 2019–20 के शेष पाठ्यक्रम निर्माण समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण व सत्र 2020–21 के कार्यवाही विवरण (पृष्ठ सं. 30 से 117)।

		3. विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति संबंधी आदेश का अनुमोदन (पृष्ठ सं. 118 से 120)।
निर्णय	:	माननीय कुलपति महोदय द्वारा वर्ष 2019 व 2020 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन सम्बंधी आदेशों को पारित किया गया। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों / विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र 2019–20 व 2020–21 के लिए पाठ्यक्रम निर्माण अथवा संशोधन करने हेतु आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेशों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या– 4	:	**सत्र 2018–19 के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) को प्रेषित विश्वविद्यालय की वार्षिक गुणवत्ता प्रतिवेदन Annual Quality Assurance Report (AQAR) को रिपोर्ट करना।**
निर्णय	:	सत्र 2018–19 के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) को प्रेषित विश्वविद्यालय की वार्षिकं गुणवत्ता प्रतिवेदन Annual Quality Assurance Report (AQAR) को अनुमोदित किया गया। इसी क्रम में उक्त प्रतिवेदन के बिन्दु सं. 1–4.1 में उल्लेखित Feedback System के संदर्भ में यह अवगत कराया गया कि विद्यार्थियों के Feedback के बाद Teachers, Employers, Alumni, Parents के Feedback को भी चरणबद्ध रूप से लागू किए जावे।
मद संख्या– 5	:	**विश्वविद्यालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किये गये गतिविधि पाठ्यक्रम–"आनन्दम्" को सत्र 2020–21 से लागू करने के सन्दर्भ में निर्णय लेना।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लान्च किये गये गतिविधि पाठ्यक्रम–"आनन्दम्" को लागू किये जाने के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। विमर्श के दौरान शासन सचिव महोदया, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार ने आनन्दम् के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। तद्नुसार आनन्दम् पाठ्यक्रम को इस विश्वविद्यालय में लागू किए जाने की अनुशंषाएं की गई। इसी क्रम में चर्चा के दौरान उक्त पाठ्यक्रम को व्यावहारिक रूप से लागू करने हेतु Modalities तय करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
मद संख्या– 6	:	**विश्वविद्यालय परिसर में सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम का संचालन सत्र 2020–21 से बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।**

निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम M.A. Development Studies तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम Diploma in Culture and History of Rajasthan में पिछले तीन सत्रों से विद्यार्थियों के प्रवेश न होने के कारण सत्र 2020–21 से इन पाठ्यक्रमों को बंद किए जाने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या– 7	:	**कोटा विश्वविद्यालय में सत्र 2020–21 के विद्यार्थियों की फीस राशि कम करवाने हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में कोरोना वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से उक्त मद को स्थगित (deferred) किया गया। चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि कोरोना महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में यदि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को आर्थिक राहत के बतौर शुल्क में कमी करना चाहे तो विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु एक High Power Committee का गठन किया जाए जिसके लिए माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
मद संख्या– 8	:	**कोटा विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce) का नाम परिवर्तन कर वाणिज्य व प्रबंधन संकाय (Faculty of Commerce & Management) संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय (Faculty of Commerce) का नाम परिवर्तन कर वाणिज्य व प्रबंधन संकाय (Faculty of Commerce & Management) करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या– 9	:	**कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के शारीरिक शिक्षा विभाग (Department of Physical Education) में दो वर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम (50 सीट) के साथ प्रारंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के शारीरिक शिक्षा विभाग (Department of Physical Education) में दो वर्षीय बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी प्रस्तावों को स्थगित किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि New Education Policy 2020 (NEP 2020) में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण औचित्य के साथ पाठ्यक्रम निर्माण समिति (BOS) की अनुशंषाओं सहित विद्या–परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। डॉ. गोपाल सिंह, माननीय सदस्य द्वारा इस क्षेत्र में कोई नवीन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का भी सुझाव दिया गया।

मद संख्या– 10	:	कोटा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातक स्तर गणित [B.Sc. (Pass Course) Mathematics Group] का संचालन सत्र 2020–21 से बंद करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातक स्तर गणित [B.Sc. Pass Course- Mathematics Group] का संचालन सत्र 2020–21 से बंद करने के प्रस्तावों पर विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। तद्नुसार प्राप्त प्रस्ताव को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या– 11	:	शोध–मण्डल की बैठक दिनांक 08.07.2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	शोध मण्डल की बैठक दिनांक 08.07.2020 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया। इसी क्रम में स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं/सहायक आचार्यों को भी शोध पर्यवेक्षक (Research Supervisor) नियुक्त किए जाने की अनुशंषा की गई जिस हेतु यदि विश्वविद्यालय ऑर्डिनेन्स में संशोधन, यदि आवश्यक हो तो, किए जावें।
मद संख्या– 12	:	विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र (Applied Chemistry) से संबंधित पाठ्यक्रमों के निर्माण हेतु गठित पाठ्यक्रम निर्माण समिति (COC) का सामान्य पाठ्यक्रमों के निर्माण हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति BOS-Chemistry में विलय करने के संबंध में निर्णय लेना।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र (Applied Chemistry) की पाठ्यक्रम निर्माण समिति (COC) का रसायन शास्त्र की पाठ्यक्रम निर्माण समिति (BOS) में विलय करने संबंधी प्रस्ताव को स्थगित किया गया। बैठक में चर्चा के दौरान यह राय व्यक्त की गई कि चूंकि वर्तमान में अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र के कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहे हैं परन्तु यदि भविष्य में जब भी अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र से संबंधित विश्वविद्यालय परिसर अथवा महाविद्यालय में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं तो आवश्यकतानुसार अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र की पाठ्यक्रम निर्माण समिति (COC) की बैठक करवाई जा सकती है।
मद संख्या– 13	:	कोटा विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर स्तर पर चित्रकला विषय सत्र 2020–21 से प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर स्तर पर चित्रकला विषय (M.A. Drawing & Painting) सत्र 2020–21 से प्रारंभ करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 14	:	विश्वविद्यालय परिसर में कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में नवीन पाठ्यक्रम–Integrated BCA-MCA को प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लेना। साथ ही AICTE द्वारा MCA पाठ्यक्रम को 03 वर्ष से 02 वर्ष करने के आधार पर तथा अन्य विश्वविद्यालयों की तर्ज पर कोटा विश्वविद्यालय द्वारा भी किया गया, जिसकी रिपोर्टिंग विद्या–परिषद् के समक्ष करते हुए अनुमोदन प्राप्त करना।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में नवीन पाठ्यक्रम–Integrated BCA-MCA को प्रारंभ किए जाने की सैद्धांतिक अनुमति दी गई किन्तु उक्त पाठ्यक्रम में सम्मिलित Integrated शब्द एवं 4 वर्ष की समयावधि, पाठ्यक्रम की मान्यता (recognition)/समानता (equivalency) इत्यादि के संदर्भ में UGC व अन्य नियामक एजेंसी के मापदण्डों के आलोक में व्यावहारिक रूप से लागू करने संबंधी सुझाव दिए गए। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को भी दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव पर कार्यवाही करने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या– 15	:	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न–पत्र के खण्ड 'अ' में प्रथम प्रश्न, जो कि लघुत्तरात्मक है, को एक ही स्थान पर हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु प्रश्न–पत्र में उल्लेखित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन करना।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रश्न–पत्र के खण्ड 'अ' में प्रथम प्रश्न, जो कि लघुत्तरात्मक है, को एक ही स्थान पर हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूचित करने हेतु प्रश्न–पत्र में उल्लेखित करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या– 16	:	विश्वविद्यालय की समसत्रीय परीक्षा प्रणाली के प्रश्न–पत्रों में संशोधन के संबंध में निर्णय करना।
निर्णय	:	विश्वविद्यालय की समसत्रीय परीक्षा प्रणाली के प्रश्न–पत्रों में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को विद्या–परिषद द्वारा अस्वीकार किया जाकर विद्यमान परीक्षा योजना को यथावत रखे जाने की अनुशंषाऐं की गई।
पूरक एजेण्डा– 1	:	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की परीक्षा–2020 (सत्र 2019–20) की वार्षिक योजना एवं सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रोन्नत कर, परीक्षा परीणाम जारी करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ एवं समुचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा 2020 (सत्र 2019–20) की वार्षिक योजना एवं सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षार्थियों को क्रमोन्नत कर परीक्षा परिणाम जारी करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान

		शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अंतिम वर्ष तथा final semester के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किए जाने संबंधी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन होने के कारण इस बाबत् माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावे। अतः विद्या–परिषद द्वारा भी उक्त स्थितियों के क्रम में अंतिम वर्ष तथा final semester के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने संबंधी योजना को स्थगित रखे जाने की अनुशंषाएं की गई। इसी क्रम में अंतिम वर्ष तथा final semester के अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं यथा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर प्रथम, तृतीय, पंचम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं/सेमेस्टर में क्रमोन्नत करने की अनुशंषा की गई जिसमें किसी भी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई होने पर उसके समाधान/समुचित निर्णय लिए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। इसी क्रम में LL.B. के विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने के संबंध में पाठ्यक्रम निर्माण समिति, विधि के संयोजक डॉ. चन्द्रजीत सिंह द्वारा सेमेस्टर प्रथम, तृतीय व पंचम की परीक्षाएं भी संपन्न न होने के कारण विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने संबंधी मुद्दे की तरफ विद्या–परिषद का ध्यान आकर्षित किया गया। इस प्रकरण पर भी विस्तृत विचार–विमर्श पश्चात् यह अनुशंषाएं की गई कि डॉ. सिंह द्वारा LL.B. छात्रों की परिवेदनाओं के संदर्भ में संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति से विश्वविद्यालय को अवगत करवाया जावे, जिसके निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
मद संख्या– 16.1	:	अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से। 1. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2018, दिनांक 18.07.2018 को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.08.2020 में उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन अंगीकृत करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। उक्त क्रम में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.08.2020 के बिन्दु सं. 5 के संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुशंषा की गई। 2. डॉ. रोशन भारती, संयोजक पाठ्यक्रम निर्माण समिति–संगीत ने आसन की अनुमति से "भारतीय संगीत" विषय को "भारतीय संगीत (गायन)" एवं "भारतीय संगीत (वादन–सितार)" में वर्गीकृत करने संबंधी प्रस्ताव विद्या–परिषद की बैठक में रखा। वर्तमान में कोटा विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में भारतीय संगीत विषय में दोनों विधाओं – गायन व वादन का सम्मिलित

		पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करवाया जा रहा है जिससे अंक–तालिकाओं व उपाधियों में केवल भारतीय संगीत लिखा जा रहा है। विद्यार्थियों की अंक–तालिकाओं एवं उपाधियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में संगीत (गायन) एवं संगीत (वादन) के पदों के विरूद्ध केवल भारतीय संगीत विषय लिखा होने के कारण अयोग्य करार दिया जाता है। अतः उक्त भ्रामक स्थिति को दूर करने एवं विद्यार्थियों के हित में भारतीय संगीत विषय का वर्गीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा उक्त हेतु पाठ्यक्रम निर्माण समिति, संगीत की बैठक शीघ्र आयोजित करने की अनुशंषा की गयी। 3. विद्या–परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 09.07.2019 के मद सं. 10 में किए गए निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय में स्थापित नवीन संकाय – जीव विज्ञान संकाय के अन्तर्गत आने वाले विषयों के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया गया था। आसन की अनुमति से उक्त संबंध में गठित समिति की आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण विद्या–परिषंद के समक्ष रखे गए। उक्त कार्यवाही विवरण को निम्नानुसार संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया– 1. बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु सं. 1 में संशोधन करते हुए "Universiy campus" के स्थान पर "University Campus and Affiliated Colleges" किया गया। 2. नियमानुसार जीव विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति न हो पाने के कारण वर्तमान में जीवन विज्ञान संकाय के दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय को अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया।

अन्त में कुलपति महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

सदस्य सचिव
विद्या–परिषद्